(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिबंधित नाशी कीटनाशकों का इस्तेमाल

1864. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1991 के "ट्रिब्यून" में "डार्क साइड आफ पैस्टीसाइड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में प्रतिबंधित नाशी कीटनाशकों का हमारे देश में खुले आम इस्तेमाल हो रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब ही में ऐसे कई घटिया किस्म के तथा हानिकारक नाशी कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है जो सरकारी प्रयोगशालाओं के परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार ने इन नाशी कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कृमिनाशी दवाइयां जो अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत होने के बाद हमारे देश में इस्तेमाल की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृमिनाशी दवा अधिनियम और कृमिनाशी दवा नियमों में बाजार में बिकने वाली कृमिनाशी दवाओं की जांच और परीक्षण के लिये कड़े प्रावधान हैं और पंजाब में उनका पालन किया जा रहा है। जहां तक हानिकारक किस्म की कृमिनाशी दवाओं का संबंध है, इस पहलू की जांच कृमिनाशी दवा अधिनियम के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा की जाती है और यह समिति केवल यही कृमिनाशी दवाइयां अनुमोदित करती हैं, जो अनुष्यों तथा पर्यावरण के लिये निरापद हों।

"लोक धारा" तेल की बिक्री

1865. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आशिरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 'लोक धारा" नामक खाद्य तेल के नये ब्राण्ड का विपणन का विचार रखता है और यदि हां, तो इस तेल में मिश्रण का अनुपात क्या है और इसका अन्तरिम मूल्य क्या है ; और

(ख) सरकार ने बाजार में 16 किलोग्राम के टिनों में अपमिश्रित खाद्य तेल की बिक्री को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना के प्राप्त हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को, आयातित तेल का आवंटन हो जाने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों के संबंधित प्राधिकारियों से, बाजार में बेचे जा रहे खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिये आग्रह किया है।